फर्द अहकाम

मै. विजयलक्ष्मी बनाम अर्जुन व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 65/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्पणी
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद प्रेषित/प्राप्त शुदा नोटिस दिनांक 15.3.24 व उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रस्तुत केस रिपोर्ट अनुसार तामिल स्वीकार्य है। एक माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थिति/जवाब/आपत्ति बाबत प्रा.पत्र ली.आर्डि. भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीगण ए.ला.ए. के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस प्रा.पत्र ली.आर्डि. पर सुनी गई। चूंकि प्रार्थी द्वारा स्वयं की अभिलिखित खातेदारी की भूमि के विधिक विभाजन बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके सन्दर्भ में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना/जानकारी के किसी भी प्रकार की उज्र आपत्ति व उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वाद कुशलता व न्यायहित के दृष्टिगत प्रा.पत्र ली.आर्डि. स्वीकार किया जाकर पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 23.11.23 को तारकंटला मुतबाद स्थाई किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली [illegible] दर्ज नथी [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

29.4.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.05.01 10:47:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर